इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016—वैशाख 30, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2016

क्र. एफ-6-9-2016-पचास-2.—राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा बालिका लिंगानुपात सुधार में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश के जिलों को राज्य स्तरीय विशेष पुरूस्कार दिये जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं.

बालिका लिंगानुपात सुधार में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश के जिलों को राज्य स्तरीय विशेष पुरूस्कार नियम

1. **प्रस्ताव एवं उद्देश्य.**—मध्यप्रदेश शासन प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में सुधार हेतु प्रतिबद्ध है. प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में जिलों में क्षेत्रवार अंतर परिलक्षित होता है. जहां एक ओर प्रदेश के कुछ जिलों में इसमें निरन्तर सुधार हो रहा है, वहीं कुछ जिलों में

यह अभी भी प्रदेश की औसत स्थिति से तुलनात्मक रूप में अत्यन्त नीचे है. अतः प्रदेश के सभी जिलों के लिंगानुपात में सुधार हेतु समन्वित, संतुलित एवं सतत् प्रयासों की आवश्यकता है.

शिशु लिंगानुपात कई कारणों से प्रभावति होता है और उन कारणों में बाल विवाह, समाज में बालिका जन्म के प्रति दृष्टिकोण, बालिकाओं की शिक्षा, परिवार द्वारा बालिकाओं का पालन पोषण, गर्भवती माताओं को मिलने वाली स्वास्थ्य और पोषण आहार सुविधा, सुरक्षित प्रसव और शिशु का भ्रूण लिंग परीक्षण आदि निहित है.

समाज में व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा सामूहिक प्रवृति सुधार हेतु विशेष परिश्रम एवं समर्पण की आवश्यकता होती है, तथा इस कार्य में निरन्तर प्रोत्साहन से कार्य-परिणाम में गहनता आती है. इसी धारणा को दृष्टिगत रखते हुए लिंगानुपात सुधार हेतु श्रेष्ठ प्रयास करने वाले जिलों को विशेष पुरूस्कार प्रदान किया जायेगा, जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज और जिलों में इससे जुड़े कार्यकारी मानव संसाधन को प्रोत्साहित किया जा सके.

शीर्षक.—यह पुरूस्कार बालिका लिंगानुपात सुधार में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश के जिलों को राज्य स्तरीय विशेष पुरूस्कार कहलायेंगे और मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. **पात्रता : प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले जिले के :**

अ. प्रथम आने वाले जिले को 1 लाख का पुरूस्कार दिया जावेगा जिसमें से

1. संभागीय आयुक्त
2. जिला कलेक्टर
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी
6. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
7. जिले के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विकासखण्ड अधिकारी/महिला सशक्तीकरण अधिकारी
8. जिले के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारी.

उपरोक्त शासकीय अधिकारियों को शाल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र प्रदाय किया जावेगा. इसके अतिरिक्त निम्न को पुरूस्कार दिये जायेंगे:—

1. **एक मीडिया कर्मी.**—जिसके द्वारा समाज में महिलाओं को समानता तथा सशक्तीकरण से जुड़े सभी विषयों पर जनसमुदाय को संवेदनशील बनाने तथा महिलाओं के सकारात्मक प्रदर्शन हेतु कार्य किये हैं.

2. **एक एनजीओ.**—जिसके द्वारा बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार हेतु उत्कृष्ठ प्रयास किये गये हों.

3. **एक वकील.**—जिसके द्वारा महिलाओं के ऐसे विधिक प्रकरणों का निराकरण/सुनवाई की पहल की गई हो जिनमें महिलाओं को लाभ मिला हो.

4. **एक पुलिस कर्मी.**—जिनके द्वारा महिला एवं बालिकाओं के प्रति हिंसा के प्रकरणों/अपराधों में कमी/प्रताड़ित महिला को सुरक्षा/महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया हो.

5. **एक शौर्या दल.**—महिला एवं बालिकाओं के प्रति समुदाय संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के लिये गठित शौर्यादल के द्वारा उनके क्षेत्र में परिणाम मूलक कार्य एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर महिलाओं के प्रति प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने में दल की भूमिका.

6. **एक स्कूल के शिक्षक.**—बालिकाओं को शाला में प्रवेश करवाने हेतु किये गये प्रयास एवं इस हेतु अपनाये गये नवाचार की संख्या.

7. **एक ग्राम पंचायत के सरपंच.**—अपने पंचायत क्षेत्र में बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की तत्परता एवं पंचायत क्षेत्र में बालिका एवं महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षण के क्षेत्र में किये गये प्रयास एवं नवाचार की संख्या.

8. **एक ए.एन.एम.**—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सुरक्षित संस्थागत प्रसव, बालिकाओं का टीकाकरण, गर्भवती/धात्री माताओं की देखभाल संबंधी संख्यात्मक विवरण एवं किये गये नवाचार.

9. **एक नर्सिंग होम**—जिसमें सबसे ज्यादा बालिकाओं ने जन्म लिया हो.

10. **एक डॉक्टर.**—जिसने सर्वाधिक बालिकाओं के प्रसव करवाये हैं.

11. **एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता.**—जिले की सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-आईसीडीएस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने क्षेत्र में शतप्रतिशत सेवाओं का प्रदान करना एवं अन्य नवाचार.

12. **एक आशा कार्यकर्ता.**—जिले के सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले आशा कार्यकर्ता-स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस के समन्वय से उत्तरदायित्वों को शतप्रतिशत पूर्ण करना एवं अन्य अतिरिक्त कार्य.

13. **एक थाना.**—जिले का वह थाना क्षेत्र जिसमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अधिकतम कमी आई है.

14. **एक पर्यवेक्षक.**—जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पर्यवेक्षक, आईसीडीएस.

15. **एक प्रोफेसर.**—जिले के किसी एक शासकीय या अशासकीय कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं एवं महिलाओं से जुड़े विशेष नवाचार.

16. **एक व्यक्ति.**—भ्रूण लिंग परीक्षण करने की सूचना देने वाला व्यक्ति.

17. **एक स्व-सहायता समूह.**—इस संबंध में जागरूकता लाने व कार्य करने वाला स्व-सहायता समूह.

18. **एक महिला थाना/महिला डेस्क.**—जिले का वह महिला थाना/महिला डेक्स जहां सर्वाधिक महिलाओं की शिकायतों का निराकरण हुआ हो.

19. **एक पुरुष या महिला.**—जिले की बाल विवाह रूकवाने वाले व्यक्ति (पुरुष या महिला) महिलाओं के प्रति कुरीती, कुप्रथा, घरेलू हिंसा, बालश्रम, यौन शोषण, दहेज प्रथा अथवा अन्य किसी असमानता के लिये उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरुष या महिला को पुरूस्कार.

20. **एक एन.आर.सी. प्रभारी.**—जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले पोषण पुनर्वास केन्द्र की प्रभारी.

अ. इन सभी क्र. 1 से 20 तक उल्लेखित व्यक्ति/संस्था को रु. 5,000/- हजार प्रति व्यक्ति/संस्था का नगद पुरूस्कार दिया जावेगा. इस प्रकार प्रथम आने वाले जिले में 20 पुरूस्कार हेतु कुल राशि 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) का व्यय होगा.

ब. द्वितीय आने वाले जिले को क्र. 1 से 8 तक के शासकीय अधिकारियों को शाल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र प्रदाय किया जावेगा.

इन सभी क्र. 1 से 20 तक उल्लेखित व्यक्ति/संस्था को रु. 3,000/- हजार प्रति व्यक्ति/संस्था का नगद पुरूस्कार दिया जायेगा. इस प्रकार द्वितीय आने वाले जिले में 20 पुरूस्कार हेतु कुल राशि 60,000/- (रु. साठ हजार मात्र) का व्यय होगा.

स. तृतीय आने वाले जिले के अधिकारियों को निम्नानुसार पुरूस्कार दिया जायेगा.

उपरोक्त क्रमांक 1 से 8 तक उल्लेखित शासकीय अधिकारियों को शाल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र प्रदाय किया जायेगा.

इन सभी क्र. 1 से 20 तक उल्लेखित व्यक्ति/संस्था को राशि रु. 1000/- हजार प्रति व्यक्ति/संस्था का नगद पुरूस्कार दिया जायेगा. इस प्रकार तृतीय आने वाले जिले में 20 पुरूस्कार हेतु कुल राशि 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) का व्यय होगा.

3. **निम्न बिन्दुओं पर जिला स्तरीय उपलब्धियां :**

3.1 **बाल विवाह की रोकथाम.**—रोके गये बाल विवाह की संख्या एवं विवरण.

3.2 **समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण.**—समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण हेतु प्रयासों की संख्या एवं विवरण.

3.3 **बालिकाओं की शिक्षा में सुधार.**—बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हेतु किये गये कार्यों की संख्या एवं विवरण.

3.4 **बालिका शाला प्रवेश.**—शाला में प्रवेश करवाई गई बालिकाओं की संख्या एवं इस हेतु किये गये नवाचारी प्रयासों की संख्या एवं विवरण.

3.5 **लाडली लक्ष्मी योजना.**—योजना अन्तर्गत पंजीकृत कराये गये हितग्राहियों की संख्या एवं संबंधित अन्य कार्यों का विवरण.

3.6 **शौर्य दल गठन.**—गठित दलों एवं उनके प्रशिक्षणों की संख्या एवं विवरण. शौर्य दलों की उपलब्धियां एवं इसमें उत्प्रेरक की भूमिका का विवरण.

3.7 **परिवार द्वारा बालिकाओं का पालन पोषण.**—परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद न करते हुए बालिका को समान प्राथमिकता देने बावत् प्रेरित किये गये परिवारों की संख्या एवं परिणाम मूलक विवरण.

3.8 **गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य और पोषण आहार सुविधा.**—महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य स्रोतों से गर्भवती माताओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ने में निभाई गई भूमिका का संख्यात्मक विवरण.

3.9 **सुरक्षित और संस्थागत प्रसव एवं शिशु का भ्रूण लिंग परीक्षण की दिशा में की गई कार्यवाही.**—जिले में आयोजित पीसीपीएनडीटी समिति की बैठकों की निरन्तरता एवं उसके परिणामों की संख्या एवं विवरण.

3.10 महिलाओं से संबंधित योजनाओं के प्रचार-प्रसार की संख्या व उसके प्रभाव का विवरण.

3.11 **महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा के प्रकरणों में कमी.**—जिले में महिलाओं के प्रति हिंसा के पंजीकृत कराये गये प्रकरणों की संख्या एवं निराकृत कराये गये प्रकरणों की संख्या एवं विवरण.

3.12 जन्म के समय 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में लिंगानुपात में सुधार-सभी आयु समूहों में लिंगानुपात सुधार हेतु किये गये प्रयासों की संख्या एवं इस हेतु किये गये प्रचार-प्रसार में अभिनव प्रयासों का उल्लेख.

4. **''निर्णायक मंडल एवं चयन समिति''** से अभिप्राय राज्य स्तर पर गठित की जाने वाले समिति से है, इस समिति में अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव महिला एवं बाल विकास, सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, गृह विभाग सदस्य सचिव, आयुक्त महिला सशक्तिकरण रहेंगे.

5. **विस्तार क्षेत्र.**—मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिये यह पुरूस्कार देय होगा.

6. **पुरूस्कार का स्वरूप.**—जिलों को बालिका के लिंगानुपात सुधार के विषय पर उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए किये गये कार्य एवं अनुपम उपलब्धि के लिए प्रति वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति की ओर से चयनित को विशेष पुरूस्कार देय होगा. पुरूस्कार हेतु चयनित से तात्पर्य बिन्दु क्रमांक-3 में पात्रता अनुसार चयनित होगा.

7. **चयन समिति का गठन.**—राज्य शासन, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुमोदन से एक चयन समिति का गठन करेगा. जिसमें 5 सदस्य मनोनीत किये जायेंगे. कोरम के लिये कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव महिला एवं बाल विकास, सदस्य प्रमुख सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सदस्य सचिव, आयुक्त महिला सशक्तिकरण रहेंगे. आयुक्त, महिला सशक्तिकरण चयन समिति के बैठक के आयोजन संबंधी कार्यवाही संपादित करेंगे.

8. चयन समिति सम्मान के लिये प्राप्त प्रविष्टियों/अनुशंसाओं/नामांकनों में से अथथा चयन समिति स्वमेव किसी उपयुक्त जिले को विचार में सम्मिलित करके अनुशंसा कर सकेगी.

9. पुरूस्कार के लिए एक जिले का चयन होगा परन्तु चयन समिति युक्तियुक्त आधार होने पर एक पुरूस्कार के लिए एक से अधिक जिलों का चयन भी कर सकेगी एवं तद्नुसार उन्हें पुरूस्कार राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जायेगी.

10. **चयन समिति की शक्तियां :**

10.1 चयन समिति के द्वारा किये गये चयन पर शासन विचार करेगा.

10.2 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकृत नहीं की जावेगी.

10.3 चयन समिति की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जायेगा.

11. **चयन की प्रक्रिया.**—जिस वर्ष के लिये पुरूस्कार प्रदाय किया जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिये आयुक्त/संचालक महिला सशक्तिकरण के द्वारा उसके आगामी वर्ष में अक्टूबर-नवम्बर माह में जिलों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. प्रविष्टियां प्रेषित करने हेतु कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जावेंगी परन्तु आवेदन आमंत्रित करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

12. **प्रविष्टि.**—जिला कलेक्टर द्वारा संचालनालय महिला सशक्तिकरण को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगे:—

12.1 नामांकन में जिले की पूर्ण जानकारी.

12.2 बाल विवाह की रोकथाम, समाज में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, बालिका शाला प्रवेश, लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों की संख्या, शौर्या दलों का गठन, परिवार द्वारा

बालिकाओं का पालन पोषण, गर्भवती माताओं को मिलने वाली स्वास्थ्य और पोषण आहार सुविधा, सुरक्षित और संस्थागत प्रसव और शिशु के भ्रूण लिंग परीक्षण की दिशा में की गई कार्यवाही PCPNDT से संबंधित समिति की निरन्तर बैठकें, महिलाओं से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार, महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा के प्रकरणों में कमी, जन्म के समय 0-4 वर्ष, 0-6 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग एवं सभी आयु वर्ग के लिंगानुपात में सुधार, लिंगानुपात में सुधार लाने हेतु किया गया प्रचार-प्रसार इस हेतु किये गए अभिनव प्रयास आदि के क्षेत्र में उनके द्वारा उल्लेखनीय और प्रमाणिक कार्यों की विस्तृत जानकारी. इन व्यक्तियों के नाम व उपलब्धी कार्य प्रमाण सहित एवं नगद पुरूस्कार हेतु बिन्दु क्रमांक 3 में पात्रता के कॉलम में उल्लेखित क्रमांक 1 से 20 तक अधिकारी/कर्मचारी/संस्था के नाम/फोन/ई-मेल आई.डी.

12.3 फोटो प्रतियां, स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियां अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेख, दस्तावेज.

13. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में जिले की सहमति.

14. एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक वर्ष के लिए विचारणीय होगी.

15. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय: यह नहीं होगा कि संबंधित जिले का कार्य पुरस्कार के योग्य नहीं है. निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले जिले जो एक वर्ष की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयनित नहीं हो सके हैं, आगामी वर्षों में पुन: प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.

16. प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चावर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा.

17. प्रविष्टियों में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्त्ता का होगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा. परन्तु राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सके.

18. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां/नामांकनों की प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में समान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा.

प्रपत्र

19.

पंजी क्र.	जिला	प्रविष्ट प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	संलग्न अभिलेखों का विवरण	अन्य विवरण कुल पृष्ठों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

20. प्राप्त प्रविष्टियों/नामांकनों के निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने के बाद चयन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा.

21. निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में चयन समिति की बैठक के लिए संक्षेपिका प्रस्तुत की जावेगी:—

21.1 जिले का नाम
21.2 प्रस्तावक

21.3 जिले की संक्षिप्त जानकारी
21.4 कार्य की उपलब्धियां
21.5 प्राप्त पुरस्कार/सम्मान (पूर्व में)
21.6 प्रमाण अभिलेख
21.7 समर्थक तथ्य (यदि हो तो)
21.8 पुरस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति.

22. **चयन के मापदण्ड.**—सम्मान के लिये जिले के चयन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे.

22.1 पुरस्कार के लिये चयन समिति द्वारा मध्यप्रदेश के जिलों का ही चयन किया जावेगा.

22.2 कार्य मध्यप्रदेश राज्य के संबंधित जिले में लिंगानुपात सुधार से संबंधित होना चाहिए.

22.3 पुरूस्कार के लिए भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्यों का आकलन आवश्यक है. और सेवा कार्य में जिले की सक्रियता के लिए उन्हें इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.

22.4 पुरूस्कार के विषय में प्रयास का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये.

22.5 पराम्परागत तरीकों से अलग हटकर लिंगानुपात सुधार एवं वातावरण निर्माण के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया हैं, का उल्लेख किया जा सकेगा.

23. **पुरूस्कार की घोषणा.**—चयन समिति द्वारा पुरूस्कार के लिये जिन नामों का चयन होगा उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित जिले के नाम की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

24. **अंलकरण समारोह.**—यह सम्मान प्रतिवर्ष 8 मार्च को राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा.

25. **वित्तीय प्रावधान एवं शक्तियां.**—सम्मान प्रक्रिया, चयन समिति की बैठकों की सम्मान निधि एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए बजट में प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा एवं स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश को होंगे. इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी. इस पर होने वाला व्यय बेटी बचाओ अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधान से किया जावेगा. यह व्यय बेटी बचाओ अभियान अन्तर्गत मांग संख्या 55-2235-02-6740- में से विकलनीय होगा.

26. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—राज्य शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं हैं. के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास में वेष्ठित होंगे.

27. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव.**—आयुक्त महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु चयनित जिलों का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित जिलों के कार्य आदि के संबंध में एक विवरणिका जारी की जावेगी, जिसमें इस पुरस्कार के उद्देश्य स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त जिलों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे.

जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.